भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour Programme/5/2018/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003

Dated: 17th April, 2018

To,

1. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
कोयला एस्टेट, सिविल लाइन,
नागपुर (महाराष्ट्र)
पिन कोड 440 001

2. जिला कलेक्टर,
जिला छिंदवाड़ा,
(मध्य प्रदेश)

3. जिला कलेक्टर,
जिला सिवनी,
(मध्य प्रदेश)

विषयः सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली से आयोग के दल के दिनांक 27–02–2018 से 03–03–2018 तक छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) राज्य के नागपुर (महाराष्ट्र) और जिलों का दौरा।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 27–02–2018 से 03–03–2018 तक छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) राज्य के नागपुर (महाराष्ट्र) जिलों के दौरे की रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि प्रवास रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

भवदीय,

(एस.पी.मीना)
सहायक निदेशक

Copy for information and necessary action to:

1. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

प्रवास - प्रतिवेदन

-:: TOUR REPORT ::-

-:: DATED 27/02/2018 TO 03/03/2018 { CHHINDWARA AND NAGPUR (MP&MS) } ::-

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	**सुश्री अनुसुईया उइके** **उपाध्यक्ष** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार** **सुश्री दीपिका खन्ना** **अन्वेषण अधिकारी एवं प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय, अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार, भोपाल मध्यप्रदेश** **श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** **उपाध्यक्ष के सहायक निज सचिव** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार**
2. दौरा की तिथि, दिन, दिनाँक, वर्ष	**दिनाँक 27 फरवरी 2018** **से** **03 मार्च 2018 तक**
3. दौरा किये गये स्थान	**नागपुर, छिन्दवाड़ा (महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश)**
4. मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण संगठनों से मिले	**निम्नानुसार**

1)	डॉ पी.आर.चन्देलकर, प्राचार्य, राजमता सिंधिया कन्या महाविद्यालय छिन्दवाडा।
2)	डॉ कामना वर्मा, व्याख्याता, राजमता सिंधिया कन्या महाविद्यालय छिन्दवाडा।
3)	श्रीमती एस.डब्ल्यू ब्राउन, समाज सेवी एवं सेवानिवृत्त व्याख्याता।
4)	श्री धर्मेश शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी, छिन्दवाडा।
5)	व्याख्यातागण सर्वश्री–श्रीमती डॉ. एस.पी.मेश्राम, राजेन्द्र मिश्रा, बी.पी.सिंह, अमरसिंह, श्रीमती नीलम खासकलम, श्रीमती अर्चना सुदेश, नीलिमा जैन, अर्चना गौर, अस्मिता मुंजे, प्रतिभा श्रीवास्तव, बाला डेहरिया, तृप्ति मिश्रा, रजनी कवरेती, रेखा बक्शी, अजय ठाकुर, इला घोष, दिव्या मोहने, दिनेश चौधरी, बिन्दिया महोबिया।
6)	श्री शिव भलावी, श्री प्रवीण भलावी धनकशा संघर्ष समिति एवं अन्य 30 सदस्यागण।
7)	श्री आशाराम उइके, अध्यक्ष विस्थापित जय बजरंग आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित तथा 20 सदस्यगण थुयेपानी तोतलाडोह बिछुआ जिला छिन्दवाडा मध्यप्रदेश।
8)	श्री राजेश पिता श्री श्रीराम डेहरिया सुनारी मोहगाँव तहसील जिला छिन्दवाडा
9)	नगर अध्यक्ष सगा समाज पान्ढुर्ना जिला छिन्दवाडा
10)	अध्यक्ष एवं पदाधिकारी गोंड महासभा जिला कमेटी छिन्दवाडा
11)	श्री झनकलाल पिता श्री अमरलाल मर्सकोले जाति गोंड सुर्रेवानी पोष्ट कढैया तहसील

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

	बिछुआ जिला छिन्दवाडा
12)	श्रीमती जमना विधवा मानक किरार एवं अन्य 27 अनावेदक
13)	श्री विनोद अमरोदे पिता श्री चेतु अमरोते किरार बीसापुर मोहखेड जिला छिन्दवाडा
अधिकारीगण	
14)	श्रीमती कविता बाटला, अतिरिक्त कलेक्टर, छिन्दवाडा।
15)	श्रीमती आशा कुसरे, संयुक्त कलेक्टर, छिन्दवाडा
16)	श्री जाकिर हुसैन, महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, परासिया।
17)	श्री बी पी तिवारी, सहायक निर्देशक पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी
18)	श्री गणेशलाल डेहरिया प्रभारी तहसीलदार चान्द छिन्दवाडा
19)	श्रीमती भारती ठाकरे, सहायक वन संरक्षक, पेंच रिजर्व टाईगर छिन्दवाडा सिवनी
20)	श्री रविकुमार गजभिये सहायक संचालक मत्स्योद्योग छिन्दवाडा
21)	श्री सी.के. दुबे, सहायक संचालक, जनजाति विभाग छिन्दवाडा

5. दौरे के मुख्य बिन्दु

A. छिन्दवाड़ा एवं नागपुर में आम नागरिकों एवं जनजाति प्रतिनिधियों से भेंट।

B. राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय छिन्दवाडा में आयोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, **महिला सुरक्षा – एक वैचारिक मंथन** में सहभागिता।

C. आयोग में पंजीबद्ध तीन प्रकरणों में सुनवाई।

दिनाँक 27 फरवरी 2018

1. दिनाँक 27 फरवरी 2018 को राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय छिन्दवाडा में आयोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी महिला सुरक्षा – एक वैचारिक मंथन में भाग लिया गया। इस संगोष्ठी में जिले के एवं अन्य जिलों के विद्वान व्याख्याताओं, समाजसेवियों द्वारा महिला सुरक्षा विषय पर अपने अपने शोध पत्र पढ़े एवं विचार व्यक्त किये गये।

2.

(राजमता सिंधिया शासकीय कन्या महाविलय छिन्दवाड़ा में आयोजित संगोष्ठी में सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं आयोजक तथा अन्य अतिथि)

3. मेरे द्वारा राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय छिन्दवाड़ा

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

संगोष्ठी महिला सुरक्षा – एक वैचारिक मंथन में अपने उदबोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्यप्रणाली, किये जाने वाले कार्य, जनजातियों तथा महिलाओं के लिये सरकारी विशेष प्रावधानों से उपस्थित वक्ताओं श्रोतओं को अवगत कराया गया एवं महिला सुरक्षा के लिये सुझाव दिये कि :–

a. महिला सुरक्षा अत्याधिक महत्वपूर्ण सामयिक विषय है।

b. भारत जैसे देश में आज हमें इस विषय पर मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी इस पर विचार करने की भी आवश्यकता है जबकि भारतीय सँस्कृति में महिला और उसका सम्मान सर्वोपरी रहा है।

c. इस देश की महिलाओं झाँसी की रानी, दुर्गावती, जैसी वीरांगनाओं ने समय समय पर समाज एवं राष्ट्र को महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वे आज भी इसमें सक्षम हैं।

d. इस देश में महिलाओं के लिये बड़े बड़े युद्ध हुए, बडी से बडी कुर्बानी दी गई है, केवल नारी के सम्मान और सुरक्षा के लिये फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर चिंतन और विचार कर निष्कर्ष पर पहुँचने की नितान्त आवश्यकता है।

e. महिलाओं में असुरक्षा की भावना परपने का प्रमुख कारण क्या है, वह यह है कि आज हमारे नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है जिसकी वजह से महिलाओं की सुरक्षा पर चिंतन करना आवश्यक हो गया है।

f. आज आवश्यकता इस बात कि है कि हमें अपने बच्चों को महिला का सम्मान करने, आवश्यकता पड़ने पर महिला की सहायता करने का संस्कार एवं शिक्षा देना होगा।

g. वसुदेव कुटुम्बकम की हमारी सँस्कृति को पुर्नजीवित करने से जब देश ही नहीं सम्पूर्ण विश्व एक परिवार होगा तो हर महिला हर पुरुष के लिये सम्मानीय होगी, इस भावना को जागृत करने की महती आवश्यकता है।

h. सभी महिलाओं को अपने आप को कभी भी किसी से कमतर या कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने अपमान, अपने प्रति होने वाले अपराध का डटकर मुकाबले करने की आवश्यकता है।

i. हमें मानसिक, शारीरिक, शिक्षा, जैसे गुणों से इतना मजबूत बनना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा स्वंय कर सकें।

j. मैंने अपने उदबोधन में समाज का नजरिया बदलने, छात्राओं एवं समस्त महिलाओं को आत्मविश्वासी एवं साहसी बनने के लिये प्रेरित किया और बताया कि महिला सुरक्षा की दिशा में भारत सरकार के विभिन्न आयोग भी तत्परता से संज्ञान लेते हैं। अतः महिलओं को आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से आयोग तक पहुंचकर इनका लाभ लेना चाहिये।

4. राष्ट्रीय संगोष्ठी में विचार विमर्श उपरांत समस्या के समाधान हेतु जो सुझाव प्राप्त हुए वे निम्नानुसार हैं :–

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

A. दिनांक 26 एवं 27 फरवरी 2018 को दो दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के प्रारंभ डी.एफ.ओ. छिन्दवाड़ा डॉ. किरण बिसेन ने कहा कि महिला सुरक्षा जैसे अत्यंत गंभीर विषय पर मंथन आज की नितांत आवश्यकता है और महिलाओं को आत्मरक्षा के लिये स्वयं को सदैव तैयार रहना चाहिये।

B. डॉ. रेखा बक्शी प्राध्यापक मनोविज्ञान सागर ने महिला सुरक्षा पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार रखते हुए समाज की मानसिकता बदलने की बात कही। अच्छी सोच एवं विचार से ही अच्छे कर्म की प्रेरणा प्राप्त होती है। अतः सोच में बदलाव होना चाहिए।

C. डॉ.ईला घोष सेवानिवृत्त प्राचार्य जबलपुर ने महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव एवं पक्षपात को समाप्त कर उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

D. डॉ.नोयल दान सह प्राध्यापक जबलपुर ने महिला सुरक्षा के दार्शनिक व धार्मिक पक्ष की ओर ध्यान आकृष्ट कराया।

E. डॉ.अर्चना गौर सह प्राध्यापक भोपाल द्वारा महिला सुरक्षा एवं युवा दृष्टिकोण पर अपने विचार रखे।

F. डॉ. मेहरा द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाऐं किस तरह सशक्त हो सकती है पर अपनी बात कही।

G. प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्रों के मध्यम से महिला सुरक्षा के लिये जिम्मेदार कारणों यथा सोशल मीडिया की भूमिका, सायबर क्राइम, नैतिक मूल्यों का पतन कानून तक पीड़िता की सरल पहुंच, विज्ञापन में नारी चित्रण पर गहराई से चिंतन किया तथा इनमें परिवर्तन करन पर बल दिया।

H. संगोष्ठी के द्वितीय दिवस खुलामंच में प्रतिभागियों एवं छात्राओं ने खुलकर अपनी बात रखी व प्रश्न पूछे। इस अवसर मेरे द्वारा एवं सहायक लोक अभियोजन अधिकारी व कानूनी विशेषज्ञ श्री धर्मेश शर्मा एवं डॉ. डब्ल्यू. एस. ब्राउन सेवानिवृत्त प्राचार्य व परिवार परामर्श केन्द्र सदस्य द्वारा सभी प्रश्नों का समाधान किया गया।

I. कानूनी विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित श्री धर्मेश शर्मा द्वारा महिला सुरक्षा सम्बंधी उपबंधों एवं धाराओं की विस्तृत जानकारी एवं उन तक पहुंच की सरल प्रक्रिया की जानकारी संगोष्ठी में उपस्थित महिलाओं को प्रदान की गई।

5. संगोष्ठी के समापन में दिनांक 27 फरवरी 2018 को गहन चिंतन मनन व विचार विमर्श से महिला सुरक्षा से जुड़ी कुछ बातें मुख्य रूप से उभर कर सामने आई जो इस प्रकार से हैं : –

1- पुरूषों, शासकीय अधिकारियों, पुलिस की सोच एवं नजरिये में बदलाव होना चाहिए – महिला सुरक्षा के लिये सर्वप्रमुख समाज, परिवार, पुरूष वर्ग और यहां तक की स्त्रियों के प्रति स्त्रियों के नजरिये, सोच, दृष्किोण व विचार में परिवर्तन लाना होगा। स्त्री को एक मानव के रूप में स्वीकार करने का दृष्टिकोण होना चाहिये जिससे उसकी मानवीय गरिमा बनी रहे।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2- नैतिक मूल्यों और संस्कारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा – संस्कारों के लिये परिवार पूर्णतः उत्तरदायी है। वहीं बालक का पोषण होता है। मां एवं परिवार के बड़ों के द्वारा बाल्यकाल से ही सही, गलत, नारी का सम्मान करने वाला, उसके प्रति संवेदनशील नजरिया रखने वाला चरित्र गढ़ना होगा।

3- सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियां जो महिलाओं के जीवन को असुरक्षित करती है समाज से उन्हें समाज करना होगा।

4- सोशल मीडिया एवं विज्ञापन जगत में स्त्रियों के गरिमाविहीन प्रदर्शन पर कानूनी प्रतिबंध लगाये जाने की प्रबल आवश्यकता है। इंटरनेट पर नारी का उन्मुक्त चित्रण की सीमारेखा निर्धारित की जाये ताकी साइबर क्राइम जैसे मसले उपस्थित न हो।

5- परिवार से स्त्री–पुरूष भेदभाव समाप्त किये जाने पर बल दिया जाये। परिवार से ही यह विचार संचारित हो कि स्त्रियां व पुरूष में न कोई श्रेष्ठ है न कोई कम वे समान है और उसे हर क्षेत्र में समान स्वीकार किया जाये।

6- महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिये दूसरे पर निर्भर न रहे। उन्हें आत्म रक्षा के लिये प्रशिक्षण दिया जाये। स्कूल कॉलेजों में इसे अनिवार्य किया जाये।

7- नैतिक मूल्यों की शिक्षा स्कूली स्तर से विश्वविद्यालयीन स्तर तक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।

8- आत्मरक्षा, सतर्कता, कानूनी प्रावधान एवं भय मुक्त होकर उनकी शरण में जाने के लिए जागरूकता अभियान की नितांत आवश्यकता है।

9- पुलिस की भूमिका पर विचार होना चाहिए। महिला सुरक्षा पर पुलिस को महिलाओं का विश्वास जीतना होगा। उनके प्रति संवेदनशील रवैया बनाना होगा ताकि स्त्रियां भयमुक्त होकर विपरीत परिस्थितियों में इनकी की शरण ले सके।

10- पीड़िता के प्रति समाज, नाते रिश्तेदारों, पुलिस का रवैया बेहद समझदारीपूर्ण व संवेदनशील होना चाहिए ताकि दुर्भाग्यवश किसी घटना का शिकार महिलाएं बिना भय के अपराधियों के सामने खड़े होकर उन्हें दंडित करवाने की हिम्मत जुटा सकें।

(राजमता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिन्दवाड़ा में आयोजित संगोष्ठी के अवसर पर प्रतिभागियों के साथ सामूहिक छत्राचित्र सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं आयोजक,अतिथि)

दिनाँक 28 फरवरी 2018

6. विश्राम भवन छिन्दवाड़ा में आयोग में पंजीकृत तीन प्रकरणों में सुनवाई की गई

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

जिनका विवरण इस प्रकार से है :-

1) आयोग की फाईल संख्या /आरएस/2/2017/एमकेल/1/डीओथ/आरयू-4/- वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, पेंच क्षेत्र परासिया के अंतर्गत धनकशा कोयला खदान तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा की भूमिगत कोयला खदान के लिये ग्राम की भूमि को अधिग्रहित किया गया है आदिवासियों को मुआवजा प्रदान नहीं करने के संबंध में है।

2) धनकशा परासिया में कोल वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा कोयला खदान खोलने के लिये 212 जनजाति किसानों की भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई किन्तु अब तक किसानों को न तो नौकरी दी गई और न ही उनको मुआवजा दिया गया है।

(विश्राम भवन छिन्दवाड़ा में आयोग में दर्ज प्रकरणों की सुनवाई करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. याचिकाकर्ता, आयोग के अधिकारी एवं अन्य)

3) प्रकरण में उपस्थित आवेदकों ने अनुरोध किया कि - यह प्रकरण काफी समय से लंवित है जिसकी वजह से समिति ने आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर आयोग द्वारा कोल इंडिया को पत्र लिखा गया था और उसका उत्तर आयोग के पत्र फाईल संख्या /आरएस/2/2017/एमकेल/1/डीओथ/आरयू-4 दिनाँक 11/07/2017 के परिपालन में कोल इंडिया से आयोग को दिनाँक 31 अगस्त 2017 को उत्तर प्राप्त हुआ है। आयोग को जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसके संबंध में आवेदकों का निम्नानुसार लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है :-

a) कम्पनी के मुआवजा नियमानुसार कुल अधिग्रहित भूमि रकबा 212 एकड़ में अनिवार्य रूप से डिवाईडेड वाय टू के नियम के अनुसार 106 व्यक्तियों को जिनकी भूमि अधिग्रहित की जा रही है, रोजगार दिया जावे।

b) धारा 9 का प्रकाशन होने के उपरांत अब तक चार वर्ष हो चुके हैं किन्तु आगे की प्रकिया पूर्ण नहीं हुई है। कोल इंडिया द्वारा जबाब दिया गया है कि कम्पनी द्वारा किसानों को भूमि का उपयोग करने से रोका नहीं जा रहा है। इस संबंध में उल्लेख है कि किसानी करने के लिये खाद, बीज, पानी, मोटर, पंप, मजदूरी एवं अन्य संसाधन की आवश्यकता होती है जिसके लिये किसान को बैंक से लोन लेना पडता है और वह तभी खेती करता है। साथ ही बीमा करवाता है, आपदा में शासन से मुआवजा मिलता है किन्तु धारा 9 के

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रकाशन के उपरांत बैंक शासन आवेदकों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या मुआवजा स्वीकृत नहीं करता है जिसकी वजह से वे खेती भी नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें उनकी भूमि का मुआवजा और नौकरी भी नहीं मिली जिसकी वजह से उनके समक्ष जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है।

c) इस परियोजना की भूमि अधिग्रहण का कार्य तत्काल किया जावे और मुआवजा तथा नौकरी तत्काल प्रदाय की जावे ताकि भूमि स्वामियों को इसका लाभ मिल सके।

d) पुनः अनुरोध किया कि इस प्रकरण में तत्काल समय सीमा निर्धारित कर निराकृत कराने एवं माईन्स शीघ्र निर्धारित समय में खुलवाने का कष्ट करें।

4) प्रकरण की सुनवाई में कोल माइन्स के अधिकारी श्री जाकिर हुसैन महाप्रबंधक ने बताया कि भूमि के बटांकन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने की वजह से प्रकरण लंवित हो रहा है।

5) उपस्थित अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती कविता बाटला एवं संयुक्त कलेक्टर श्रीमती आशा कुशरे तथा अनुविभागीय अधिकारी को एक सप्ताह में प्रकरण निराकृत करने हेतु निर्देशित किया गया।

6) कोयला कम्पनी के अधिकारी ने आश्वस्त किया कि राजस्व विभाग की बटांकन की कार्यवाही पूर्ण होने पर वे तीन सप्ताह में प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर देगें।

7. आयोग की फाईल संख्या/एयू/7/2017/एसटीजीएमपी/डीओथ/आरयू-3/ आवेदक आशा राम एवं अन्य विरूद्ध कलेक्टर छिन्दवाडा का प्रकरण तथा उसमें सुनवाई का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :-

1. आवेदक श्री आशाराम उइके एवं अन्य आवेदकों ने निवेदन किया कि तोतलाडोह के अंतर्गत पूर्व में रोजगार करने वाले अर्थात मछली पकड़ कर बेचने वाले आदिवासियों का तोतलाडोह वाइल्ड लाईफ रिजर्व घोषित होने की वजह से रोजगार समाप्त हो गया है, उनके द्वारा कोर्ट के निर्णय के आधार मांग की गई की उन्हें मछली पकड़ने की अनुमति दी जावे। साथ ही विस्थापितों को मुआवजा एवं वैकल्पिक रोजगार भी दिया जावे।
2. संबंधित विभागों जिसमें वन विभाग, राजस्व विभाग एवं मत्स्योद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा सुनवाई में विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, मत्याखेट प्रतिबंधित होने की वजह से प्रभावितों को मुआवजा देने के विधिवत एवं पुख्ता सबूती दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिसकी वजह से इस प्रकरण में किसी भी निर्णय पर पहुँचा नहीं जा सका।
3. प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों से यह तो स्पष्ट होता है कि प्रकरण में आवेदकों की समस्या तो है जिसका निराकरण सम्पूर्ण

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दस्तावेजों के अवलोकन, तथ्यों के साक्ष्यों के साथ प्रस्तुतीकरण होने के उपरांत ही किया जा सकता है।

4. अतएव आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आगामी सुनवाई में कलेक्टर छिन्दवाडा सिवनी, सिंचाई विभाग छिन्दवाडा सिवनी, मत्स्य विभाग छिन्दवाडा, वन विभाग छिन्दवाडा सिवनी को सम्पूर्ण पुख्ता दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।

8. आयोग की फाईल संख्या/एयू/10/2017/एसटीजीएमपी/डीईएलएएएल/आरयू–3/ आवेदक आशाराम एवं अन्य विरूद्ध कलेक्टर छिन्दवाडा का प्रकरण तथा उसमें सुनावाई का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :–

1) आवेदक श्री आशाराम उइके ने अपने आवेदन में अनुरोध किया है कि वह अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य है और उसकी मालिकाना हक की भूमि को सामान्य वर्ग द्वारा 1945 एवं 1955 में कय करना बताया गया। जबकि आवेदक के पास 1945 का बिक्रय पत्र है किन्तु 1955 में उसके परिवार द्वारा कोई भूमि बिकय नहीं की गई है और अनावेदक द्वारा इसी बिकय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। इस लिये उक्त भूमि का अधिपत्य उसे वापिस दिलाया जावे।

2) राजस्व अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में राजस्व अधिकारी सौंसर – चौरई के पास प्रकरण विचाराधीन है और अनावेदकों द्वारा बिकयपत्र प्रस्तुत किया गया है।

3) आवेदक ने अनुरोध किया कि उसे बिकय पत्र की सत्यापित प्रति प्रदान की जावे ताकि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके।

4) इस शिकायत तथा अवैध कब्जे के प्रकरण में 1955 का अभिलेख आवेदक को प्रदान करने तथा आगामी सुनवाई में सम्पूर्ण कार्यवाही कर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित आधिकारियों को दिये गये ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

9. विश्राम भवन में अन्य आवेदकों ने जो आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं उनका विवरण इस प्रकार से है :–

a. श्री राजेश पिता श्रीराम डेहरिया सुनारी मोहगाँव तहसील जिला छिन्दवाडा द्वारा अनुरोध किया कि अनावेदक श्रीराम सिंह पिता श्री झनकलाल रघुवंशी द्वारा साहूकारी करते हैं और इसी के चलते आवेदक की जमीन हड़प ली गई है। इस संबंध में आवेदक ने शिकायत प्रस्तुत की है। अनुसूचित जाति का प्रकरण है।

b. नगर अध्यक्ष सगा समाज पान्ढुर्ना जिला छिन्दवाड़ा आदिवासी सामुदायिक भवन के संबंध में है जिसे आयोग में प्रस्तुत किया गया है।

c. अनुसूचित जनजाति वर्ग छात्र संगठन मेडीकल पीजी की सीटों पर प्रवेश के लिये

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कटआफ मार्क कम कराने के संबंध में विवरण प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया। इसमें पत्र जारी किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रदेश कि चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये NEET - PG के माध्यम से प्रवीण्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। मध्यप्रदेश में 110 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं किन्तु अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के अंक कम होने की वजह से उन्हें उक्त सीटें प्राप्त नहीं हो रही हैं और ये खाली सीटें कमानुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग को हस्तांतरित हो जाती हैं। उक्त परीक्षा में 1200 में से 0281 अंक कटआफ है यदि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये यह कटआफ कम कर दिया जाता है तो पर्याप्त संख्या में जनजाति वर्ग के छात्र चिकित्सा क्षेत्र में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये पात्र हो जाते हैं जैसा कि विगत वर्षों में आवश्यकतानुसार ऐसा किया गया है। **मध्यप्रदेश शासन को इस कटआफ अंक को परिवर्तित अर्थात कम करने** का अधिकार है। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के हित में चिकित्सा के पीजी कोर्स में प्रवेश हेतु नीट के कटआफ मार्क कम करने की अनुशंसा की जाती है,ताकि जनजाति वर्ग के छात्रों को इसका लाभ मिल सके।

d. ग्राम चिखलीकला तहसील परासिया के आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि वे वर्षो से ग्राम की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक – 326, 328 एवं 330 जो कि राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है, का उपयोग सार्वजनिक रूप से शमसान के रूप में करते चले आ रहे हैं। विगत दिनों करीबी निवासरत किसान श्री शिवनारायण यदुवंशी द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाया जा रहा है। इस संबंध में उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार को शिकायत की गई है। सभी आवेदनकर्ता चाहते हैं कि इस शासकीय भूमि पर किये जा रहे अवैध कब्जा को रूकवाकर तत्काल भूमि का सीमांकन करवाकर शासकीय भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाया जावे तथा उक्त भूमि को सार्वजनिक शममान भूमि मद में दर्ज किया जावे। इस प्रकरण के संबंध में प्रथक से कलेक्टर छिन्दवाडा एवं अनुविभागीय अधिकारी परासिया को लिखा गया है।

(विश्राम भवन छिन्दवाडा मेंआमजनो की जन सुनवाई एवं जन प्रतिनिधियों भेंट कर उनकी समस्याओं को सुनते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.एवं)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

e. गोंड महासभा जिला कमेटी छिन्दवाडा आदिम जाति के वर्ग के जिले में पेड कटाई के लंवित प्रकरणों के निराकरण शीघ्र कराने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

f. श्री झनकलाल पिता श्री अमरलाल मर्सकोले जाति गोंड सुर्रेवानी पोष्ट कढैया तहसील बिछुआ जिला छिन्दवाडा कर्ज चुकाने हेतु मालिक मकबूजा के पेड़ों की कटाई की अनुमति शीघ्र प्रदान करने के संबंध में।

g. श्रीमती जमना विधवा मानक किरार एवं अन्य 27 अनावेदक श्रीराम सिंह पिता श्री झनकलाल रघुवंशी द्वारा साहूकारी करते हुए जमीन हड़पने के संबंध में शिकायत। अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्ग का प्रकरण है।

h. श्री विनोद अमरोदे पिता श्री चेतु अमरोते किरार बीसापुर मोहखेड जिला छिन्दवाडा अनावेदक श्रीराम सिंह पिता श्री झनकलाल रघुवंशी द्वारा साहूकारी करते हुए जमीन हड़पने के संबंध में शिकायत। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रकरण है।

i. उपरोक्त सभी आवेदन आयोग में प्रथक से प्रस्तुत कर दिये गये हैं। आयोग स्तर से आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है।

10. दिनाँक 03 मार्च 2018 छिन्दवाडा से नागपुर एवं दिल्ली प्रस्थान प्रवास सम्पन्न।

6-	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :	• प्रतिवेदन के बिन्दु कमाँक **चार** में वर्णित A To I तक तथा बिन्दु कमाँक **पाँच** में **1 To 10** तक दिये गये निष्कर्षो पर कार्यवाही सुनिश्चित करने की अनुशंसा की जाती है। • बिन्दु कमांक छह में वर्णित आयोग में दर्ज तीन प्रकरणों में सुनवाई की गई जिसमें दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही आयोग स्तर से सुनिश्चित करने की अनुशंसा की जाती है। • प्रतिवेदन के बिन्दु कमाँक **नौ** में वर्णित A To I तक में वर्णित आवेदन पत्र जो कि आयोग में प्रस्तुत किये गये हैं उनमें निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की अनुशंसा की जाती है।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली
(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi